संख्या-2023/001-707422022

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **24** मार्च**, 2023**

वषय:- के0डी0 संह बाबू स्टे डयम लखनऊ स्थित तरणताल को कवर्ड कये जाने का कार्य तथा तरणताल के जीर्णोद्धार के कार्य को एक साथ कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक आपके पत्र संख्या-जी-1476/नि0लखनऊ स्टे0 पत्रा0 2022-23, दिनांक 06.03.2023, शासनादेश संख्या-707/बया लस-2021-14 (बजट)/2019, दिनांक 26 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या-162/बया लस-2022-14(बजट)/2019, दिनांक 07.02.2022 एवं शासनादेश संख्या-2023/001/428422023, दिनांक 15.02.2023 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है क के0डी0 संह ''बाबू'' स्टे डयम लखनऊ स्थित तरणताल को कवर्ड कये जाने का कार्य तथा तरणताल के जीर्णोद्धार के कार्य को एक साथ कराये जाने हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम ल0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को आंक लत करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 1022.47 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष धनरा श रू0 500.00 लाख की वत्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त संलग्न बी0एम0-9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- **A042-20222023-894422023** दिनांक 23.03.2023 के अनुसार पुन र्वनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनरा श की व्यवस्था करते हुए परियोजना हेतु अनुमोदित धनरा श के सापेक्ष सम्पूर्ण धनरा श रू0 5,22,47,000 (रुपये पांच करोड़ बाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की वत्तीय स्वीकृति चालू वत्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202- शक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-12-के0डी0 संह "बाबू" स्टे डयम लखनऊ-1202-आलवेदर तरणताल को कवर्ड कये जाने का कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्न ल खत शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनरा श रू0 5,22,47,000 (रुपये पांच करोड़ बाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करते हुए वत्त वभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

दिनांक 04.11.2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम ल0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनरा श की मॉग नहीं की जायेगी।

(3) पुन र्वनियोग के माध्यम से प्राप्त धनरा श का व्यय इसी वत्तीय वर्ष में कया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

(4) पुन र्वनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनरा श का समर्पण कसी भी दशा में स्वीकार नहीं कया जायेगा।

(4) धनरा श का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लये कया जायेगा, जिस प्रयोजन के लये पुन र्वनियोग कया जा रहा है।

(5) निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित कया जायेगा क पुन र्वनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(7) वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231-2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231-2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या -707/बया लस-2021-14(बजट)/2019, दिनांक 26 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या्-162/बया लस-2022-14(बजट)/2019, दिनांक 07.02.2022 एवं शासनादेश संख्यात-2023/001-428422023, दिनांक 02.02.2023 में उल्लि खत अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,22,47,000 (रुपये पांच करोड़ बाईस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वत्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038001202 ऑलवेदर तरणताल को कवर्ड कये जाने का कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वत्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय वभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अ धकार के अंतर्गत निर्गत कये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य स चव।

संख्या-2023/001-707422022LKU, तद् दिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिला धकारी, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अ धकारी, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ल0, लखनऊ ।
7- वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

8- वत्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(वनीत प्रकाश)
वशेष स चव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।